भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 202
सोमवार, 2 फरवरी, 2026 (13 माघ, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान टिकट के रद्दीकरण शुल्क पर समुचित सीमा लगाया जाना

202. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या डीजीसीए ने उड़ान टिकट रद्दीकरण शुल्क पर मूल किराये के सापेक्ष कोई 'समुचित सीमा' निर्धारित की है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अक्सर रद्दीकरण शुल्क मूल किराया और ईंधन अधिभार से भी अधिक हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को लगभग शून्य धनवापसी मिलती है; और
(ग) क्या ग्राहक को टिकट खरीदने के 24 घंटे के भीतर मुफ्त में टिकट रद्द करने की सुविधा देने हेतु 24 घंटे की "कूलिंग-ऑफ पीरियड" अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): हवाई यात्रियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर), धारा-3, श्रृंखला-'एम', भाग-II जारी किया है जिसका शीर्षक है "यात्रियों को एयरलाइन टिकटों की धनवापसी" ।

उक्त सीएआर एयरलाइनों को बुकिंग के समय टिकट रद्द करने पर स्वीकार्य धनवापसी की राशि को स्पष्ट रूप से और साफ-साफ इंगित करने का आदेश देता है।

इसके अलावा, सीएआर यह निर्धारित करता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई एयरलाइन या उसका एजेंट मूल किराया और ईंधन अधिभार से अधिक रद्दीकरण शुल्क नहीं लगाएगा।

उपर्युक्त सीएआर यात्री को बुकिंग के 24 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट को रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि आरंभिक रूप में बुक की गई उड़ान का प्रस्थान बुकिंग की तारीख से सात दिन से अधिक हो।

हालांकि, यात्री को उस संशोधित उड़ान के लिए सामान्य प्रचलित किराया का भुगतान करना होगा जिसके लिए टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर संशोधन करने की मांग की गई है।
